

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस. कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 600


2025/272  
ULMS

आदेश

दिनांक 17-09-2025

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 900 नू-अनिलेख निरीक्षक जी.पी. 45110 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) घड़साना/रावला तहसीलदार घड़साना की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 700A तहसील घड़साना/राजस्व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् वर्मान में खाता सं० 26 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1.	700A	26	जीनत बी 10/0 मासू खां दि. पूर्ण जाति मुसलमान सा. डेड खातेगत रादिन पूर्ण खाता 5885 खुफि विकास बैंक पु.म. घड़साना	जीनत बी 10/0 मासू खां दि. पूर्ण जाति मुसलमान सा. डेड खातेगत रादिन (पूर्ण खाता) 5885 खुफि विकास बैंक पु.म. घड़साना

  
सुनील कुमार चौहान  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

दिनांक 17-09-2025

क्रमांक/रीडर/ग्रा0से0शि0./2025/598-600  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार घड़साना/रावला को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री जीनत बी 10/0 मासू खां को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
सुनील कुमार चौहान  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना